न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – /2019 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
शाखा– 04 व 05 प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज.) –305001

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. कालूलाल पुत्र श्री प्रताप गुर्जर (ऋणी / बंधककर्ता)
पताः– (अ) 74, लखावा रानपुर, कोटा (राज.) –325003
(ब) प्लॉट नं. 93–बी, लखावा पुनर्वास, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.)–324007
2. श्री भागचन्द पुत्र श्री प्रताप
74, लखावा रानपुर, कोटा (राज.) –325003 – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा– 04 व 05 प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज.) –305001 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.04.2014 का होम लोन बाबत रूपये 12,00,000/– (अक्षरेः रूपये बारह लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री कालूलाल पुत्र श्री प्रताप गुर्जर की प्लॉट नं. 93–बी, लखावा पुनर्वास, तहसील–लाडपुरा जिला कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति जिसका उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 81 वर्गमीटर जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/19888 दिनांक 01.11.2013 से जारीसुदा है जिसका पंजीयन उप पंजीयक मण्डाना जिला कोटा द्वारा दिनांक 12.11.2013 को किया गया है, जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– अन्य भूखण्ड, पश्चिम में –रोड़, उत्तर में – भूखण्ड सं. 93–सी, दक्षिण में भूखण्ड सं.–93–ए** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 15.08.2016 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 12,19,604/– (अक्षरे रूपये बारह लाख, उन्नीस हजार, छः चार मात्र) बकाया रकम दिनांक 19.08.2016 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.08.2016

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है. । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री कालूलाल पुत्र श्री प्रताप गुर्जर की प्लॉट नं. 93–बी, लखावा पुनर्वास, तहसील–लाडपुरा जिला कोटा (राज.) स्थित सम्पत्ति जिसका उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षैत्रफल 81 वर्गमीटर जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/19888 दिनांक 01.11.2013 से जारीसुदा है जिसका पंजीयन उप पंजीयक मण्डाना जिला कोटा द्वारा दिनांक 12.11.2013 को किया गया है, जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– अन्य भूखण्ड, पश्चिम में –रोड़, उत्तर में – भूखण्ड सं. 93–सी, दक्षिण में भूखण्ड सं.–93–ए** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इसे न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner